

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : *MM04/NO4/2020/977*

दिनांक : *08/12/2020*

समस्त प्रधानाचार्य नियंत्रक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज राजस्थान।  
संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन राजस्थान।  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।  
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।  
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान।

विषय:-चिकित्सको की ऑन लाईन अनापति प्रमाण पत्र (NOC) मॉडूल को अधिक सुगम बनाने के सम्बन्ध में :-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अनापति प्रमाण पत्र (NOC) का कार्य 15.11.2019 से ऑन लाईन किया जा रहा है इस हेतु उच्च स्तर पर चिकित्सो द्वारा दिये गये सुझाव एवं शासन सचिव महोदय द्वारा इसको और अधिक सुगम बनाने एवं अनापति प्रमाण पत्र (NOC) मॉडूल के साथ-साथ रिलिव का प्रावधान ऑन लाइन किया जा रहा है इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

1. वर्तमान में विभिन्न स्तर पर लगभग 970 से ज्यादा लम्बित है जिनको निर्देशानुसार आगामी 2 दिवस में समस्त चिकित्सको अनापति प्रमाण पत्र (NOC) को फॉरवर्ड करे अन्यथा रिटर्न कर देवे, जिससे कोई अनापति प्रमाण पत्र (NOC) लम्बित नहीं रहे।
2. समस्त चिकित्सो से आग्रह है कि दिनांक 15.12.2020 तक कोई भी चिकित्सक अनापति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए आवेदन नहीं करे क्योंकि उनके द्वारा भेजे गए अनापति प्रमाण पत्र (NOC) का निस्तारण सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण नहीं किया जा सकेगा।

सलंगन सूची।

*[Signature]*  
निदेशक (जिन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान  
जयपुर।

क्रमांक : *MM04/NO4/2020/977*

दिनांक : *08/12/2020*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. शासन सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. उप-शासन सचिव ग्रुप-2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि संबंधित को भेजकर वेबसाइट पर अपलोड करे।

*[Signature]*  
निदेशक (जिन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान  
जयपुर।